

15.9.2020

झारखंड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

सचिका संख्या :- प0नि0वि0 / विविध-06-33 / 2007(अंश-1)

2146(S)

राँची, दिनांक :- 09/09/2020

संकल्प

विषय:- लोक निर्माण के कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु सन्निहित पद्धति की एकरूपता हेतु प्रावधानों के संशोधन के संबंध में।

राज्य सरकार अन्तर्गत निर्माण शाखाओं के पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवम् कार्यपालक कृत्यों को निर्धारित करने हेतु झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता-2012 मंत्रिपरिषद की स्वीकृति उपरान्त राज्य में प्रभूत है।

अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन पद्धति के सन्दर्भ में यह पाया जाता है कि कतिपय प्रसंगों में विस्तृत व्याख्या ना होने के कारण अलग-अलग विभाग, कार्यपालक आदेश/परिपत्र द्वारा सुविधानुसार प्रावधान कर लेते हैं। एक ही राज्य में विभागवार अभियंत्रण कार्यों के निमित्त भिन्न पद्धति होने की वजह से क्रियान्वयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना हो जाती है।

सम्यक विचारोपरांत लोक निर्माण के कार्यों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित प्रभूत नियम/पद्धति में संशोधन किया जाता है :-

2 (i) निविदाओं में न्यूनतम निविदित दर के संबंध में :-

क्र0	वर्तमान में प्रभूत नियम/पद्धति	संशोधन
1	Jharkhand PWD Code, Clause 163(a) Tenders quoted below 10 (ten) % of the amount mentioned in Bill of Quantity shall be rejected ab initio.	झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका-163(a) द्वारा कृत प्रावधान को अवक्रमित करते हुए 10 प्रतिशत की न्यूनतम अधिसीमा को समाप्त किया जाता है। सम्प्रति 10 प्रतिशत से नीचे के दर की निविदायें अनुमान्य होंगी। साथ ही JPWD Code के clause 163(a) को "delete" किया जाता है। 10 (दस) प्रतिशत से न्यून निविदाओं के लिए Additional Performance Security के क्रम में परिमाण विपत्र की राशि से - (i) 10 से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20% तथा (ii) 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30% अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा। यह झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 172(a) के रूप में समाहित होगा। पूर्व के संहिता/नियम/ परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।

Sri Rajesh
Kumar
15/09/2020

2 (ii) समान दर की निविदाओं के निष्पादन के संबंध में :-

क्र0	वर्तमान में प्रभूत नियम/पद्धति	संशोधन
2	(1) मंत्रिमंडल निगरानी, तकनीकी परीक्षण कोषांग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-254 दि0	वैध एवं समान दर की निविदाओं के मामले में निविदा निष्पादन के प्राधिकार द्वारा पारदर्शी

24.02.86 की कण्डिका-1.1.2 द्वारा निर्धारित तरीके से लाटरी (lottery) की पद्धति अपनायी जायेगी।

प्रावधान -
निगरानी विभाग के पत्रांक-2347 दिनांक 31.12.83 की कण्डिका-5(क) में आंशिक संशोधन कर यह उपबंध किया जाता है कि (1) वरीयता के आधार पर बराबर के निविदादाताओं में वरीय निविदादाता को एक वित्तीय वर्ष में एक कार्य के लिये ही प्राथमिकता मिलेगी, और (2) जिस श्रेणी में एक ठीकेदार निबंधित हो उस श्रेणी से मात्र एक श्रेणी नीचे तक के कार्य बराबर की निविदा की राशि ही उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

वरीयता के आधार जिस श्रेणी की निविदा विचाराधीन हो उस श्रेणी में रजिस्ट्रेशन की तिथि होगा। यदि कोई संवेदक अपने वर्तमान निबंधन की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे भी निविदा देते हैं और यदि वे इसके पूर्व वर्तमान श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निबंधित थे तो उसकी वरीयता की गणना नीचे की श्रेणी में निबंधन की तिथि के आधार पर की जा सकती है। बशर्ते कि विचाराधीन कार्य उस क्षेत्र में पड़ता हो जिस क्षेत्र के लिये वे निबंधित हैं।

(II) मंत्रिमंडल (निगरानी विभाग), बिहार सरकार, पटना का संकल्प/पत्रांक-2888/निग दि0- 13.09.2091 द्वारा कृत प्रावधान -

राज्य के कार्य विभागों के साथ-साथ अन्य विभागों के अधीन कार्यरत अभियंत्रण कोषांग में पूर्व से प्रदत्त अभियंत्रण कार्य के कार्यान्वयन की पद्धति से सम्बद्ध अनुदेशों/ परिपत्रों के सम्यक् विचारोपरान्त स्थानीय समवेदकों को लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:-

(i) निगरानी विभाग के पत्रांक-2347 दिनांक 31.12.83 की कण्डिका 5 तथा ज्ञापांक 254 दिनांक 24.02.86 द्वारा निर्गत संकल्प की कण्डिका 1.1.2 के अवक्रमण में यह उपबंध किया जाता है कि किसी निविदा के लिए यदि एक से अधिक निविदाकारों की दरें न्यूनतम और समान हो तथा शर्त भी समान हो, तब स्थानीय निविदाकार को प्राथमिकता दी जाय। यदि एक से अधिक स्थानीय निविदाकार की दरें समान हो, तब उनमें जो पहले निबंधित हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाय। परन्तु कार्य आवंटन पदाधिकारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किसी संवेदक को एक ही कार्य के लिए स्थानीय होने

यह प्रावधान, झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता के कण्डिका-163(c) के रूप में समाहित होगा तथा उक्त हद तक पूर्व के संहिता/नियम/ परिपत्र द्वारा कृत सभी प्रावधान अवक्रमित समझे जायेंगे।

के कारण प्राथमिकता दी जायेगी सिवाय वैसे मामलों में, जिसमें समान दर वाले सभी संवेदकों को उस वित्तीय वर्ष में एक-एक कार्य के लिए प्राथमिकता मिल चुकी हो।

(ii) निबंधन में संवेदकों के जो पता अंकित है, वे यदि उस जिला में पड़े जिसमें निविदा का कार्य होना है तभी उस संवेदक को स्थानीय माना जायेगा। यदि कार्य एक से अधिक जिला में है तब उनमें से किसी भी जिला में, निबंधन का पता पड़े तब उस संवेदक को स्थानीय माना जायेगा।

(iii) जिस श्रेणी में संवेदक निबंधित हो, उस श्रेणी में और उससे एक श्रेणी नीचे तक के कार्य में समान दर होने पर वे प्राथमिकता के लिये विचारणीय होंगे। परन्तु वरीयता का आधार जिस श्रेणी की निविदा विचाराधीन हो, उसी श्रेणी में निबंध की तिथि होगी। यदि कोई संवेदक अपने वर्तमान निबंधन की श्रेणी से एक श्रेणी नीचे की निविदा देते हैं और यदि वे इससे पूर्व वर्तमान श्रेणी से नीचे की श्रेणी में निबंधित थे, तब उनके वरीयता की गणना नीचे की श्रेणी में निबंधन की तिथि के आधार पर ही की जा सकती है।

(iv) जिस संगठन में अभी तक निबंधन की प्रणाली लागू नहीं हो सकी है, उसमें स्थानीयता का आधार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र होगा।

(III) झारखण्ड पथ निर्माण संवेदक निबंधन / संशोधन नियमावली-2012 का नियम 4.5 - निविदा निर्णय के समय वरीयता का निर्धारण गत तीन वित्तीय वर्षों में संबंधित श्रेणी के सफलता पूर्वक किए गए कार्यों के आधार पर होगा अर्थात् ज्यादा संख्या में विहित श्रेणी के कार्य पूरा करने वाले संवेदक कम संख्या में कार्य पूरा करने वाले संवेदक से वरीय माने जाएंगे। दो अलग श्रेणी के संवेदकों की पारस्परिक वरीयता का आधार भी निबंधित श्रेणी में पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या होगी। यदि पूर्ण किए गए कार्यों की संख्या समान हो वैसे स्थिति में उच्चतर श्रेणी के संवेदक को वरीय माना जाएगा।

2. (iii) Mobilization Advance के संबंध में :-

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं०-3211(s) दि० 05.06.2018 द्वारा Standard Bidding Document की कंडिका-51.1 of Section-3 (Conditions of Contract) में निम्न संशोधन किया गया है:-

"The Employer shall make advance payment to the Contractor of the amounts stated in the Contract Data by the date stated in the Contract Data, against provision by the Contractor of an Unconditional Bank Guarantee in a form and by a bank acceptable to the employer in amounts and currencies equal to the advance payment. The guarantee shall remain effective until the advance payment has been repaid. But the amount of guarantee shall be progressively reduced by the amounts repaid by the Contractor. Interest will be charged @ 10% quarterly compounded.

The interest will be charged with the installment of recovery of mobilization advance."

Mobilization Advance के संबंध में पथ निर्माण विभाग द्वारा अपनायी गयी व्यवस्था (जिसमें Mobilization Advance पर interest देय है (पथ निर्माण विभाग का संकल्प-3211(s) दिनांक-05.06.2018, प्रति संलग्न) के अनुसार कार्रवाई अन्य कार्य विभागों के द्वारा भी की जायेगी।

(ख) mobilization advance दिए जाने की स्थिति में पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त संशोधन को सभी विभागों के Contract Document में सम्मिलित किया जाय साथ ही Equipment advance हेतु भी यह व्यवस्था लागू होगी।


2. (iv) इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्ति/संशोधित प्रावधान से यदि कोई पृथक व्यवस्था किसी कार्य विभाग में यदि लागू हो तब वह स्वतः संशोधित मानी जाएगी।

(3) प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेशानुसार


सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,

झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक:- प०नि०वि०/विविध-06-33/2007(अंश-1) - 2146(5) दिनांक : 09/09/2020

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 200 (दो सौ) प्रति पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायी जाय।



सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

17) ई-प्रोक्योरमेंट के लिए


ज्ञापांक:- प0नि0वि0 / विविध-06-33 / 2007(अंश-1) - 2146(S) दिनांक : 09/09/2020
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना-सह-वित्त विभाग झारखण्ड, राँची / उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची / ग्रामीण कार्य विभाग झारखण्ड, राँची / ग्रामीण कार्य विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची / भवन निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची / पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची / सभी अभियन्ता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / उर्जा विभाग / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / जल संसाधन विभाग / तकनीकी परीक्षक कोषांग, झारखण्ड, राँची / सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / उर्जा विभाग / पेयजल एवं स्वच्छता विभाग / जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09-09-2020
सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- प0नि0वि0 / विविध-06-33 / 2007(अंश-1) - 2146(S) दिनांक : 09/09/2020
प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


09-09-2020
सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- प0नि0वि0 / विविध-06-33 / 2007(अंश-1) - 2146(S) दिनांक : 09/09/2020
प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।


09-09-2020
सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची।

पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/470/2011.....907.....

/राँची, दिनांक-04/10/2023

प्रेषक,

ई० नागेश मिश्र,
अभियंता प्रमुख-1

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

विषय :-

e-Procurement Portal (jharkhandtenders.gov.in) में Tender Fee एवं Earnest Money Deposit (EMD) के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में।

प्रसंग :-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-120, दिनांक-03.10.2023


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि e-Procurement Portal (jharkhandtenders.gov.in) में Tender Fee एवं Earnest Money Deposit (EMD) के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आदेश एवं Standard Operating Procedure (SOP) निर्गत किया गया है जिसे 16.10.2023 से लागू किया जाना है। इस तिथि के पश्चात् Tender Fee तथा EMD का भुगतान Offline पद्धति से स्वीकार्य नहीं होगा।

उक्त आदेश एवं Standard Operating Procedure की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि अपने अधिनस्थ सभी अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को इसकी प्रति उपलब्ध कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनु० - यथोक्त।

विश्वासभाजन



(नागेश मिश्र)
अभियंता प्रमुख-1

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची-4

आदेश


विषय: **e-Procurement Portal (jharkhandtenders.gov.in)** में **Tender Fee** एवं **Earnest Money Deposit (EMD)** के ऑनलाईन भुगतान के संबंध में।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् राज्य सरकार के विभिन्न कार्य विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निविदाओं का निष्पादन PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप offline पद्धति के द्वारा कराया जा रहा था। इन निविदाओं के निष्पादन में कतिपय अनियमितताओं तथा अस्वस्थ क्रिया-कलापों यथा सक्षम/इच्छुक निविदाकारों को परिमाण पत्र बिक्री नहीं करना, निविदाकारों के साथ पक्षपात व्यवहार अपनाना, निविदाकार को निविदा डालने से बलपूर्वक रोका जाना तथा निविदा निष्पादन में पारदर्शिता का अभाव होने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रही है।

2. इन समस्याओं के समाधान हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग के संकल्प संख्या- 1244 दिनांक-30.12.2009 द्वारा निविदा के आमंत्रण तथा निष्पादन हेतु e-Procurement नामक Online Portal की शुरुआत की गई और इसी portal के माध्यम से निविदाओं का निष्पादन किया जा रहा है। इस परियोजना हेतु भारत सरकार की संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा GePNIC सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसका क्रियान्वयन NIC, Jharkhand द्वारा किया जा रहा है।

3. समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि लगभग 14 वर्ष पूर्व मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुरूप निविदा आमंत्रण तथा निष्पादन की प्रक्रिया अभी भी पूर्ण रूपेण online नहीं हो पाई है। आज भी निविदाकार द्वारा Tender Fee तथा Earnest Money Deposit (EMD) से संबंधित Draft offline पद्धति के द्वारा जमा किये जाते हैं। अतः जिन उद्देश्यों हेतु Online Tender System की व्यवस्था लागू की गई थी, उनकी पूर्ति आज भी पूर्ण रूपेण नहीं हो पाई है। फलस्वरूप आज भी समय-समय पर निविदा निष्पादन में अनियमितता बरतने की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। अतः यह जरूरी हो गया है कि वर्ष 2009 में मंत्रीपरिषद् द्वारा स्वीकृत Online Tender प्रणाली के जो अंश आज भी offline व्यवस्था से निष्पादित हो रहे हैं, उन्हें बिना किसी विलम्ब के online किया जाय।

4. अतः आवश्यकता इस बात की है कि Online Tender व्यवस्था में Tender Fee तथा EMD का भुगतान भी online पद्धति से सम्पन्न हो। समय-समय पर इस विषयक सम्पन्न बैठकों में इस कार्य को पूर्ण करने का निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग को दिया गया जिसके

 03/10/2023

फलस्वरूप एक Payment Gateway विकसित किया गया है । State Bank of India से Payment Gateway Integration का कार्य भी पूर्ण हो गया है। इस क्रम में State Bank of India द्वारा Common Collection Pooling Account खोला गया है। इसके आलोक में jharkhandtenders.gov.in पर निविदादाता से Tender Fee तथा EMD ऑनलाईन प्राप्त करने तथा वापस करने की सम्पूर्ण कार्रवाई online पद्धति से सम्पन्न होगी।

5. इसका क्रियान्वयन मुख्यतः JAP-IT, Nodal Agency, NIC, Jharkhand Unit एवं Payment Gateway Integrator, SBI द्वारा किया जायेगा। राज्य के सभी सरकारी कार्य विभागों/संस्थानों/निदेशालयों के उपयोग हेतु यथावश्यक Standard Operating Procedure (SoP) संलग्न है।


6. संकल्प संख्या 1244 दिनांक 30.12. 2009 की कंडिका 5(viii) में यह प्रावधान है कि e-Procurement परियोजना के विभिन्न प्रावधानों तथा पूर्व में निर्गत विभागीय प्रक्रियाओं/नियमावलियों में भिन्नता होने की स्थिति में e-Procurement के प्रावधान प्रभावकारी माने जायेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तत्काल वर्तमान में लागू किसी नियम/कोड/परिपत्र में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

7. यह व्यवस्था दिनांक 16.10.2023 से लागू होगी। इस तिथि के पश्चात् Tender Fee तथा EMD का भुगतान offline पद्धति से स्वीकार्य नहीं होगा।

अनुलग्नक—यथोक्त।

ज्ञापांक— 120


प्रतिलिपि:— मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप—आई0टी0/SIO, NIC, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/10/2023
सरकार के सचिव

राँची, दिनांक—03.10.2023

ज्ञापांक— 120


प्रतिलिपि:— सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


03/10/2023
सरकार के सचिव


राँची, दिनांक— 03.10.2023

ज्ञापांक— 120

प्रतिलिपि:— मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।


03/10/2023
सरकार के सचिव

राँची, दिनांक— 03.10.2023


03/10/2023
सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF JHARKHAND
Information Technology & e-Governance Department

Standard Operating Procedure

A. Standard Operating Procedure for Online Collection of Tender Fee and Earnest Money Deposit through jharkhandtenders.gov.in.

1. The State Government hereby defines Standard Operating Procedure (SoP) and reporting of the receipt of Tender Fee, Earnest Money Deposit on submission of bids through the e-procurement portal of Government of Jharkhand i.e. <https://jharkhandtenders.gov.in>.
2. Electronic receipt of Tender Fee has been successfully tested by NIC through State Bank of India payment gateway. Now it has been decided to introduce electronic receipt of **Cost of Tender Paper and Earnest Money Deposit** (Bid Security) on submission of bids using payment gateway of designated banks i.e., SBI for all Government Departments, State PSUs, Statutory Corporations, Autonomous Bodies and Local Bodies etc. as per ANNEXURE-I within State. The process outlines as well as accounting and reporting structure is indicated below:
 - (a) It will be carried out through a single banking transaction by the bidder for multiple payments like Tender Fee and Earnest Money Deposit as applicable.
 - (b) Various payment modes like Internet banking/NEFT/RTGS of Designated Banks and their Aggregator Banks as well can be accessed by the intending bidders.
 - (c) Reporting and accounting of the e-receipts will be made from a single source.
 - (d) Credit of receipts into the Government accounts and to the designated Bank account of the participating Tender Inviting Authority (TIA) indicated in (b) above would be faster.
3. Only those bidders who successfully remit their **Cost of Tender Paper/Tender Fee and Earnest Money Deposit** while submission of bids would be eligible to participate in the tender/bid process. The bidders with pending or failure payment status shall not be able to submit their bid. Tender inviting authority, Nodal Agency, JAP-IT, NIC, Jharkhand Unit and the designated Banks shall not be held responsible for such pendency or failure.

4. Banking arrangement:

- (a) Designated Banks (SBI) payment gateway has been integrated with e-Procurement portal of Government of Jharkhand (<http://jharkhandtenders.gov.in>)
- (b) The Designated Banks participating in **electronic receipt, accounting and reporting of Cost of Tender Paper/Tender Fee and Earnest Money Deposit** on submission of bids will nominate a Focal Point Branch called e-FPB at SBI, Project Building Branch who is authorized to collect and collate all e-Receipts. Branch will act as the Receiving branch and Focal Point Branch notwithstanding the fact that the bidder might have debited his account at any of the bank's branches while making payment.

5. Procedures of bid submission using electronic payment of tender paper cost and EMD by bidder:

- (a) **Log on to e-Procurement Portal:** The bidders have to log onto the Jharkhand e-Procurement portal (<https://jharkhandtenders.gov.in>) using his/her digital signature certificate and then search and then select the required active tender from the "Search Active Tender" option. Now, submit button can be clicked against the selected tender so that it comes to the "My Tenders" section.
- (b) **Uploading of Prequalification/Technical/Financial bid:** The bidders have to upload the required prequalification/Technical/Financial bid, as mentioned in the bidding document.
- (c) **Electronic payment of tender paper cost/Tender Fee and EMD:** Then the bidders have to select and submit the bank name as available in the payment options
 - i. A bidder shall make electronic payment using his/her internet banking enabled account with designated Banks or their aggregator banks.
 - ii. A bidder having account in other Banks can make payment using NEFT/RTGS facility of designated Banks.
 - iii. Online NEFT/RTGS payment using internet banking of the bank in which the bidder holds his account by adding the

13/05/2023

account number as mentioned in the challan as an interbank beneficiary. Alternatively, Bidder can pay the challan through his Bank using NEFT/RTGS.

(d) **Bid submission:** Only after receipt of intimation at the e-Procurement portal regarding successful transaction by bidder the system will activate the 'Freeze Bid Submission' button to conclude the bid submission process.

(e) **System generated acknowledgement receipt for successful bid submission:** System will generate an acknowledgement receipt for successful bid submission. The bidder should make a note of 'Bid ID' generated in the acknowledgement receipt for tracking their bid status.

6. Settlement and Refund of Cost of Tender Paper/Tender Fee:

- (a) **Cost of Tender Paper:** In respect of Government receipts on account of **Cost of Tender Paper**, the e-Procurement portal shall generate a MIS for Nodal Agency, JAP-IT. The MIS will contain an abstract of the cost of tender paper and reference to **Bid Identification Number**. The Nodal department will advise SBI to generate Bank-wise-head-wise challans separately for **Cost of Tender Paper** from e-GRAS portal and instruct the designated Bank to remit the money to the State Government account under different receipt heads. In respect of the cost of tender paper received through the e-procurement portal, the remittance to the Cyber Treasury account will be made in the respective receipt head of the Government Department.
- (b) Similarly, in case of State PSU/ Autonomous bodies and Local Bodies, etc. of the State Government, the cost of Tender Paper, the e-Procurement portal shall generate a MIS for the Nodal Agency, JAP-IT. The MIS shall contain the abstract of the cost of Tender Paper collected with reference to the BID Id number. The Nodal Agency, JAP-IT shall advise bank to generate Challans and instruct designated bank to remit the money to the registered Bank Account of the concerned State PSU/ Autonomous bodies and Local Bodies, etc. of the State Government.
- (c) Bank will refund (in case the Tender Inviting Authority (TIA) issues such instructions) the tender fee to the bidder, in case the tender is

13/03/2023

cancelled before opening of Bid as per direction received from TIA through e-Procurement system.

- (d) Bank-end Transaction Matrix of Electronic receipt of Cost of Tender Paper and Earnest Money Deposit on submission of bids is enclosed in the Annexure -I.

7. Settlement and Refund of Earnest Money Deposit on submission of bids:

- (a) The Bank will remit the **Earnest Money Deposit** on cancellation of bids to respective bidder's accounts as per direction received from TIA through e-procurement system.
- (b) The Bank will remit the **Earnest Money Deposit** of unsuccessful bidders to respective bidder's accounts as per direction received from TIA through e-procurement system.
- (c) The Bank will remit the **Earnest Money Deposit** to the bank account of successful bidders on submission of Performance Bank Guarantee by him/her as per direction received from TIA through e-procurement system.

8. Forfeiture of EMD:

Forfeiture of Earnest Money Deposit on submission of bid of defaulting bidder as per the conditions mentioned in the respective tender.

- a. In case the EMD on submission of Bid is forfeited, the e-Procurement portal will direct the bank to transfer the EMD value from the Collection Pooling account to the registered account of Tender Inviting Authority.
- i. In case of Government Departments, it will be credited through the e-GRAS portal to the authorized Government account.
- ii. In case of the State PSU/ Autonomous bodies and Local Bodies, etc. of the State Government, it will be credited to respective bank account.

9. Role of the Banks:

- (a) Make necessary provision/ customizations at their end to enable the provision for online payments/ refunds.
- (b) Provide necessary real-time message to bidders regarding successful or unsuccessful transactions during online payment processes and

12
53/6/2023

redirect them to e-Procurement website with necessary transaction reference details enabling them to submit their bids.

- (c) The bank shall ensure transfer of funds from the collection pooling account to the Government Head/Current account of PSUs/ULBs etc. within the next bank working day as per the directions generated from e-Procurement portal.
- (d) Bank should provide timely reports and reference details to NIC, Jharkhand Unit & Nodal Agency, JAP-IT enabling them to carry out their role.
- (e) Refund of amount to bidders as per the XML file provided by e-Procurement system on the next bank working day from the date of generation of the XML file and also provide a confirmation to NIC on the same.

10. Role of Nodal Agency, JAP-IT :

- (a) Communicate requirements of Government Departments/ State PSUs/ Autonomous Bodies/ ULBs online payment requirements to JAP-IT/ National Informatics Centre/ the authorized Banks for mapping/ customization.
- (b) On every working day, the Nodal Agency, JAP-IT shall generate MIS from the e-Procurement portal to ascertain the tender paper cost received in the e-Tendering process separately bank-wise for the Government Department and the PSUs/ULBs. The nodal Agency, JAP-IT shall advise bank to generate separate online challans from the e-GRAS portal available and issue instruction to the bank for remittance of the receipt to the State Government account using the NEFT/RTGS option as available on e-GRAS portal.
- (c) Nodal Agency, JAP-IT shall monitor the progress of e-Tendering by different Government departments/ State PSUs/ Autonomous Bodies/ ULBs etc. through an MIS. Nodal Agency, JAP-IT shall monitor and send monthly progress reports to the Information Technology & e-Governance Department, Government of Jharkhand.
- (d) The e-Procurement system will generate a consolidated refund & settlement XML file at the end of the day.

13
03/10/2023

- (e) E-Procurement system will provide a web service for payment gateway (PG) provider to pull the encrypted refund and settlement details in XML file against a day.
- (f) Similarly, payment gateway (PG) provider will provide a web service to pull the refund and settlement status against a particular day.
- (g) e-Procurement system will update the status accordingly in the reconciliation report.

11. Role of National Informatics Centre, Jharkhand Unit:

- (a) Customize e-Procurement software and web-pages of Government of Jharkhand (<https://jharkhandtenders.gov.in>) to enable the provision for electronic payment.
- (b) The NIC will modify/ rectify the errors in electronic data relating to the Chart of Account.
- (c) NIC will provide an interface to organizations to download the electronic receipt data.
- (d) Enable automatic generation of daily XML files from e-Procurement system and ensure delivery of the same to the authorized Banks for enabling automatic refund/settlement of funds.
- (e) NIC shall enable the e-Procurement portal to generate MIS as required for the Nodal Agency, JAP-IT in order to make remittance of tender paper cost to the State Government account using the e-GRAS Portal and other fees.

12. Role of Cyber Treasury:

- (a) The cost of the tender paper deposited by the Bank using the e-GRAS Portal will be accounted for by the Cyber Treasury and it shall submit the accounts to A.G (Jharkhand) as per the established process.
- (b) The Cyber Treasury will provide MIS as required to the Department of Finance, Government of Jharkhand for information & record of the electronic remittances made to the State Government account by designated Bank.

13. Redressal of Public grievances:

- (a) The Nodal Agency, JAP-IT, National Informatics Centre, Jharkhand Unit and the State Bank of India will have an effective process for dealing with, public complaint for e-Receipt related matters. In case, any mistake is detected by any of the stakeholders in reporting of

12/03/2023

receipt of tender paper cost /EMD, either suomoto or on being brought to its notice, the Nodal Agency, JAP-IT, National Informatics Centre, Jharkhand unit, Cyber Treasury and the State Bank of India will promptly take steps for rectification. The e-Focal Point Branch of the participating Banks, National Informatics Centre, Jharkhand Unit, the Nodal Agency, JAP-IT will notify the details of the Help Desk for resolution of any dispute regarding e-Receipt.

14. Applicability and modification of existing rules/ orders:

The modalities prescribed in this Standard Operating Procedure (SoP) for downloading of tender paper, submission and rejection of bid, acceptance of Bids as well as refund and forfeiture of earnest deposit will be applicable for electronic submission of bids through e-procurement portal.

15. This issues with the approval of Competent Authority.

B
03/07/2023

ANNEXURE-I**Back-end Transaction Matrix of Electronic receipt and remittance of Cost of Tender Paper and Earnest Money Deposit on submission of bids.**

	Cost of Tender Paper	Earnest Money Deposit on submission of bids
Government Department, State PSUs, Statutory Corporations, Autonomous Bodies and Local Bodies	<p>I. The payment towards the cost of Tender Paper, shall be collected in pooling accounts opened in Focal Point Branch called e-FPB of the Bank</p> <p>II. With reference to the Notice Inviting Tender/ Bid Identification Number, the amount so realized is to be remitted to Government Account through e-GRAS Portal after opening of the bid by designated Bank (e-FPB) in T+1 Day</p>	<p>I. In case of tenders of Government Departments, amount towards Earnest Money Deposit on submission of bids shall be collected in collection pooling account opened for this purpose at Focal Point Branch called e-FPB of bank and the banks will remit the amount to respective bidder's account within two working days on receipt of instruction from TIA regarding refund and settlement of e-Procurement system.</p> <p>II. In case of forfeiture of Earnest Money Deposit on submission of bids, the e-Procurement portal will direct the Bank to transfer the EMD value from the Collection Pooling Account at e-FPB to the registered account of the tender inviting authority within two working days of receipt of instruction from TIA.</p>

13
03/10/2023